गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांकः 20 प्रवर्तन जोन–5/2018 दिनांक 01/8/2018

सेवा में

मै0 अग्रवाल एसोसिएटस (प्रमोर्टस लि0)
इन्टीग्रेटिड टाउनशिप आदित्य वर्ल्ड सिटी
एन0एच0–24 ग्राम शाहपुर बम्हैटा गाजियाबाद।

विषयः – मै0 अग्रवाल एसोसिएटस (प्रमोर्टस लि0) द्वारा ग्राम शाहापुर बम्हैटा एन0एच0– 24 गाजियाबाद में विकासित की जा रही है इन्टीग्रेटिड टाउनशिप आदित्य वर्ल्ड सिटी के ग्रुप हाउसिंग भू0सं0–जी0एच0–06 पर रेरा रजिस्ट्रेशन नं0–यू0पी0रेरा–पी0आर0जे0–1498रेरा फेस–02 के निर्मित ब्लॉक/टावर सं0–एन0 व पी0 के आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप द्वारा **ग्राम शाहापुर बम्हैटा एन0एच0– 24 गाजियाबाद में विकासित की जा रही है** ग्रुप हाउसिंग भू0सं0–जी0एच0–06 के स्वीकृत मानचित्र सं0–884/जोन–5/2012–13 दिनांक 21.09.2013 अन्तर्गत ब्लॉक/टावर A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,LM,N,P एवं व्यवसायिक स्वीकृत है। ब्लॉक A,B,C,D,E,F,G का आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र पूर्व में दिया जा चुका है। रेरा रजिस्ट्रेशन नं0–यू0पी0रेरा–पी0आर0जे0–1498रेरा फेस–02 के निर्मित ब्लॉक/टावर सं0–एन0 व पी0 के आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने का अनुरोध दिनांक 25.05.2018 को किया गया है। प्रवर्तन जोन व समिति द्वारा परीक्षण कर मात्र दो टावरों एन. व पी. के आशिंक पूर्णता प्रमाण के सम्बन्ध में प्रस्तुत आख्या पर उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 16.07.2018 को दिये गये अनुमोदन/स्वीकृत के क्रम में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15क के अन्तर्गत भू0सं0–जी0एच0–06 पर निर्मित टावर एन. व पी. का आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ जारी किया जाता है।

<u>शर्तें/प्रतिबन्ध :–</u>

1. मूल स्वीकृति में अंकित सभी शर्तो का अनुपालन करते हुए भू0सं0–जी0एच0–06 पर सम्पूर्ण परिसर का पूर्णताः प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
2. भू0सं0–जी0एच0–06 पर सम्पूर्ण परिसर का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाते समय आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले भाग का तकनीकी/स्थलीय परीक्षण का अधिकार प्राधिकरण का होगा।
3. अग्निशमन विभाग से अग्नि सुरक्षा के उपकरणो के क्रियाशील होने का प्रमाण पत्र समस्त टावरों का पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत होने से पूर्व दाखिल करना होगा एवं जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित समस्त प्राविधानों के पालन करने की जिम्मेदारी बिल्डर/आर0डब्ल्यू0ए0 की होगी तथा शिथिलता बरतने पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिल्डर/आर.डब्लू.ए. की होगी। प्रत्येक वर्ष इसके अनुपालन की सूचना से प्राधिकरण को भी सूचित करना होगा।

4. भवन के स्ट्रक्चरल/एलिवेशन सेफ्टी की पूर्ण जिम्मेदारी आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चरल इंजी0/बिल्डर/आर.डब्लू. ए. की होगी। यदि इसके कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसके लिए यह एजेंसी स्वयं जिम्मेदार होगी।

5. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन एवं रख–रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिल्डर/ आर0डब्ल्यू0ए0 की होगी तथा इसकी किसी भी समय जांच करने का अधिकार प्राधिकरण का होगा।

6. समस्त रोपित वृक्षो के रख–रखाव व सुरक्षा की जिम्मेदारी आर0डब्ल्यू0ए0/बिल्डर की होगी ।

7. वाटर सप्लाई, सीवर मेन्टीनेन्स तथा किसी भी प्रकार की मेन्टीनेन्स/रख–रखाव की जिम्मेदारी स्वयं बिल्डर/ए0ओ0ए0 की होगी आंतरिक विकास एवं कामन सर्विसेज को यू0पी0 अपार्टमेन्ट एक्ट 2010 एवं यू0पी0अपार्टमेन्ट नियमावली 2011 के नियमों के अन्तर्गत बिल्डर द्वारा ए0ओ0ए0 को हैन्ड ओवर किया जायेगा। हैन्ड ओवर लेने एवं हैन्ड ओवर देने की ए0ओ0ए0 एवं बिल्डर की सामूहिक जिम्मेदारी होगी।

8. भू0सं0–जी0एच0–06 पर सम्पूर्ण भाग के पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन के समय निर्धारित मानको के अनुसार समस्त ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण पूर्ण कराकर सत्यापित कराना होगा।

9. अपार्टमेन्ट एक्ट–2010 एवं यू0पी0 अपार्टमेन्ट नियमावली–2011 के प्राविधानों के अनुपालन की जिम्मेदारी बिल्डर/आर0डब्लू0ए0 की होगी।

10. स्वीकृत पार्किंग स्थल का उपयोग केवल पार्किंग के लिए ही किया जायेगा। कोई अन्य उपयोग मान्य नहीं होगा।

11. किसी भी विपरीत परिस्थिति में निमार्णकर्ता की लापरवाही से होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति का सम्पूर्ण उत्तदायित्व निर्माणकर्ता का होगा।

12. प्राधिकरण द्वारा भविष्य में बढ़े हुये विकास व्यय या अन्य कोई शुल्क की मांग की जाती है तो वह शुल्क निर्माणकर्ता/आर0डब्लू0ए0 को प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा।

13. बाह्य विकास कार्य पूर्ण होने पर सीवर कनेक्शन एवं वाटर कनेक्शन की अनुमति गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से प्राप्त करने का दायित्व निर्माणकर्ता एजेन्सी का होगा।

14. नियमानुसार आर0डब्ल्यू0ए0 का गठन होने के उपरान्त हस्तानान्तरण तक सभी कामन सुविधाओं का अनुरक्षण निर्माणकर्ता द्वारा ही कराया जायेगा।

15. लिफ्ट की सुरक्षा का नियमानुसार समय–समय पर परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति प्राधिकरण में उपलब्ध करानी होगी।

16. State Level Environment Impact Assessment Authority, U.P. द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में इंगित शर्तो का अनुपालन करना होगा।

प्रभारी प्रवर्तन जोन–5